तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज रैफ0 46/2017 तहसीलदार रूपवास बनाम नत्थी
8.6.2018	आज पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में तहसीलदार रूपवास द्वारा नत्थी पुत्र श्रीराम कौम ब्राहमण निवासी सिरसौदा मजरा रूपवास तहसील रूपवास को पक्षकार बनाया गया है। जिसकी तलबी हेतु पत्रांक 181 दिनांक 15.2.2018 जारी किया गया किन्तु बाद तामील प्राप्त नहीं हुआ। दिनांक 28.2.2018 को रामभरोसी पुत्र नत्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि गैर सायल नत्थी का स्वर्गवास हो चुका है एवं गैर सायल का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया गया। गैर सायल नत्थी के मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 19.10.2006 में उसकी मृत्यु का दिनांक 18.10.2006 स्पष्ट अंकित है। मृत्यु प्रमाण पत्र से यह बात साफ हो जाती है कि अप्रार्थी जिसके खिलाफ यह रैफरेंस पेश किया गया है वह फौत हो चुका है। मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी वाद पेश किया जाना न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। वकील प्रार्थी/पैरोकार सरकार द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत अथवा उज्रदारी पेश नहीं की गई जिससे यह माना जा सके कि अप्रार्थी की मौत प्रस्तुत रैफरेंस के बाद हुई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित नियमों के अंतर्गत किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी वाद दायर करना न्याय संगत न होने के कारण चलने योग्य नहीं रहता है। अतः यह प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार रूपवास को हिदायत दी जाती है कि वे प्रकरण में परीक्षणोपरान्त मृतक गैर सायलान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुये नये सिरे से नियमानुसार पुनः रैफरेंस पेश करने हेतु स्वतन्त्र होगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर